SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW- 226014

OFFICE OF THE DIRECTOR

Phones: 0522-2668112, 0522-2494059, 0522-2494001, 0522-2494003, 0522-2494280
FAX: 91-522-2668129

पी0जी0आई0/निदेशक/कैम्प/ 972 /2026 — दिनांक: 06.08.2026

कार्यालय आदेश/निदेशक कैम्प
आर0एस0डी0 सं0. 1485/13

कार्यालय आदेश

विषयः "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम 2026 के संबंध में।

भारत वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अति विशिष्ट अवसर पर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के समस्त वर्गों की सहभागिता के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 31.07.2026 एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 05.08.2026 द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। उक्त कार्यक्रमों को कियान्वयन हेतु निम्न समिति का गठन किया जा रहा है:-

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	कार्यकारिणी	टिप्पणी
1.	प्रो0 देवेन्द्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	अध्यक्ष	कार्यक्रम की समग्र देखरेख।
2.	प्रो0 पुनीत गोयल, नोडल आफीसर सुरक्षा	सदस्य	झंडा रोहण, पार्किंग एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था।
3.	श्री प्रकाश सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य	ध्वजारोहण स्थल पर टेंट माईक एवं मिष्ठान वितरण संबंधी व्यवस्था।
4.	डॉ0 राधा के0, प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिग	सदस्य	छात्र संबंधी सांस्कृतिक गतिविधियां।
5.	डॉ0 लोकेन्द्र शर्मा, नोडल आफीसर, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नॉलोजी	सदस्य	छात्र संबंधी सांस्कृतिक गतिविधियां।
6.	डॉ0 बृजेश सिंह, जनरल अस्पताल	सदस्य	--
7.	श्री पी0सी0 गुप्ता, अधीकक्षण अभियंता (विधुत)	सदस्य सचिव	बिजली एवं सजावट संबंधी व्यवस्था।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों के कम में दिनांक 09.08.2026 से 17.08.2026 तक "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करेगी एवं प्रतिदिन की कृत कार्यवाही का विवरण/फोटोग्राफ, शासन के तिरंगा पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेगी।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 अपर निदेशक।
2 प्रो0 देवेन्द्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
3 अधिष्ठाता/कुलसचिव
4 चिकित्सा अधीक्षक
5 वित्त अधिकारी/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंधन)
6 उपरोक्त समिति के समस्त सदस्य।
7 प्रधानाचार्य एवं नोडल आफीसर, कालेज ऑफ नर्सिंग, कालेज ऑफ मेडिकल टेक्नॉलाजी, केन्द्रीय विद्यालय, नर्सरी स्कूल।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, फैकल्टी मेम्बर्स, रेसिडेन्ट डाक्टर, छात्र एवं छात्राएं, अधिकारी एवं कर्मचारी।
9 विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को इस अनुरोध से कि उक्त आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।
10 कार्यालय प्रति।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-I/1423183/2026

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3- निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान लखनऊ/एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ/जी०आई०एम०एस०, संस्थान, ग्रेटर नोएडा/एस०एस०पी०एच० एण्ड पी०जी०टी०आई०, नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।
4- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
5- समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र०।
6- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर।

Date 6/8/26
Time............
DIRECTOR'S CAMP OFFICE SGPGIMS, LUCKNOW

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 06-08-2026

विषय:- हर घर तिरंगा' कार्यक्रम-2026 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062, दिनांक 31.07.2026 तथा पत्र संख्या-2225/चार-2026-1955062, दिनांक 05.08.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने "आज़ादी क़ा अमृत महोत्सव" के तत्वावधान में 2022 में हर घर तिरंगा (एचजीटी) अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विगत वर्षों में हर घर तिरंगा (एच0जी0टी) अभियान के दौरान पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किया गया। तिरंगे के साथ सेल्फी, प्रभात फेरी, तिरंगा रैलियां, तिरंगा प्रदर्शनियां और अन्य जमीन स्तर की जन भागेदारी जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस समारोह को देशभक्ति के उत्सव के रूप में मनाया गया। यह अभियान जनता के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर भी है, जिन्होने राष्ट्र की सेवा और तिरंगे के सम्मान में अपने प्राणों की आहूति दी है।

3- इस संबंध में अवगत कराना है कि संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 31.07.2026 व 05.08.2026 द्वारा 'हर घर तिरंगा अभियान-2026'' हेतु प्रथम चरण (दिनांक 06-08 अगस्त, 2026), द्वितीय चरण (दिनांक 09 से 12

अगस्त, 2026) एवं तृतीय चरण (13-15 अगस्त, 2026) निर्धारित करते हुए चरणबद्ध निर्देशानुसार व्यापक सहभागिता से ''हर घर तिरंगा अभियान-2026'' के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही कराने के निर्देश निर्गत किये गये है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संस्कृति अनुभाग, उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 31.07.2026 व 05.08.2026 द्वारा चरणबद्ध निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कालेजों / चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में दिनांक 06 अगस्त 2026 से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में **"हर घर तिरंगा' अभियान 2026"** के आयोजन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

1- <u>प्रथम चरण (दिनांक 06-08 अगस्त 2026)</u>

- मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाया जाए।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड़) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान मेडिकल कालेजों के चिन्हित स्थानों पर किया जाए।
- मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित कराया जाए।
- तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए परिसर में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाए।

2- <u>द्वितीय चरण (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)</u>

- मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर 26 जनवरी, 2027 को सम्मानित किया जाये।
- द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाए, जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉसर्ट आयोजित किया जाए।
- मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में 'तिरंगा महोत्सव' को आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए।
- मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।
- वेबसाइट www.harghartiranga.com. परं सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान की जाए।
- वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत

कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाए।

- सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- **तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)**

- दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों / सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के समस्त स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।

अन्य निर्देश-

- स्वतन्त्रता दिवस में "वंदे मातरम" का सामूहिक गायन तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का ध्वजारोहण सुनिश्चित किया जाए।
- तिरंगे के साथ सैल्फी लेते हुए फोटो एवं वंदे मातरम गायन के वीडियो हर घर तिरंगा वैबसाइट पर (www.harghartiranga.com) पर अपलोड किए जाएं। मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में सैल्फी प्वाइण्ट बनाते हुए तिरंगे के साथ सैल्फी लेकर एवं वंदे मातरम गाते हुए वीडियो एवं फोटो अपलोड किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 06-08-2026 **(अमित कुमार घोष)**
13:20:51
अपर मुख्य सचिव।

संख्या/ तद्दिनॉक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
3- निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।

5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन।

6- निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन।

7- निजी सचिव, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन।

8- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/ 3 / 4

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

7548/A&I/mssn

(ME)/SO,ME-1

संख्या- 2225 /धार- 2026-1955062

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

05.08.26

(राजेश सिंह)
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:- लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषयः 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-183/2026/2084/धार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। ज़िला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में अभियान की चरण बद्ध रूप रेखा निम्नवत् है:-

1- प्रथम चरण - (दिनांक 06 - 08 अगस्त 2026)

I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।
II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।
III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना।
V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।
VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।
VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

2-द्वितीय चरण - (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

I. प्रत्येक जिलों में स्कूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी, 2027 को सम्मानित किया जाये।
II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट आयोजित किया जाना।
III. प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।
IV. 'तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों'स्थानीय उत्पादों' (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार

श्री अभिषेक
5-8-26

सामग्री आदि) का बिक्री एवं प्रदर्शन किया जाये।

V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।

VI. वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

X. प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)

I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

II. स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा- खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप मे आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।

III. आंगड़बाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निराश्रित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।

IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।

V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।

VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।

VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बिठूर कानपुर, रेजीडेन्सी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।

VIII. शहीद स्थलों / स्मारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।

IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफैन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाना।

X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो ।

XI. तिरंगा रैली में एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। संस्कृति विभाग से हर घर तिरंगा अभियान 2026 का समन्वय श्रीमती रीनू रंगभारती , (मो० नं०-9415068031) सहायक निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। समस्त जनपदों द्वारा कार्यक्रम की सूचना संस्कृति विभाग के पोर्टल https://culturalevents.in/ के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय
Digitally signed by
AMRIT ABHIJAT
Date: 04-08-2026
18:36:49
(अमृत अभिजात)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त विभागध्यक्ष, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
DEEPA RANJAN
Date: 05-08-2026
(दीपा रंजन)
विशेष सचिव

संख्या- 183/2026/2084/चार-2026-1955062

प्रेषक,

एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2026**

विषय: 'हर घर तिरंगा अभियान 2026'।

महोदया/ महोदय,

कृपया संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 42-22/119/2022-AKAM(PT II), दिनांक 14 जुलाई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) तथा मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर पर दिनांक 24, 25 एवं 31 जुलाई, 2026 को सम्पन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत वर्ष 2022 से **'हर घर तिरंगा अभियान'** शुरू किया गया था; इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत एवं भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों से यह अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जनभागीदारी आन्दोलन के रूप में सफल बन चुका है।

'हर घर तिरंगा अभियान' का वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण देश के सभी घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह अभियान कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र सेवा एवं सम्मान में अपने प्राणों की आहूति देने वाले महापुरूषों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

इसी भावना को जारी रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत **'वन्दे मातरम'** की 150वीं जयन्ती मनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा **वंदे मातरम** के तृतीय चरण के **साथ 'हर घर तिरंगा अभियान 2026'** को उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच सम्पूर्ण देश में **'हर घर तिरंगा अभियान 2026'** का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूप में आयोजित किया जाएगा; भौतिक रूप से तिरंगा फहराते हुए **'वंदे मातरम'** का गायन किया जाएगा तथा डिजिटल सैलीब्रेशन के अन्तर्गत तिरंगा के साथ सैल्फी एवं **वंदे मातरम** के गायन को **हर घर तिरंगा** की वैबसाइट (www.harghartiranga.com) पर सैल्फी लेते हुए अपलोड किया जाएगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग आदि एवं उनकी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं तथा अन्य संस्थाएं इस अभियान में भाग लेते हुए हर घर तिरंगा की गतिविधियों को जनभागीदारी के साथ संचालित करेंगी। **'हर घर तिरंगा अभियान 2026'** के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रमुखता से आयोजित किए जाएं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- **तिरंगा रैली:-** प्रदेश में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें प्रतिभागी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) लेकर चलेंगे तथा रैली के आरम्भ में **"वंदे मातरम्"** का सामूहिक गायन किया जाएगा। इनमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक संगठन शामिल होंगे। रैलियों के लिए उचित मार्ग योजना, प्रतिभागियों का पंजीकरण, स्वतन्त्र सत्यापन तथा सुरक्षा एवं अनुशासन समस्त जिलों में सुनिश्चित किया जाए।
- **तिरंगा कॉन्सर्ट:-** प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में तिरंगा कॉन्सर्ट के आयोजन सुनिश्चित किए जाएं, जिनमें युद्धों में शहीद हुए सेनानियों व स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के परिजनों को आमन्त्रित कर सम्मानित किया जाए। कॉन्सर्ट में स्थानीय जन प्रतिनिधियों/ गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कॉन्सर्ट के अन्तर्गत तिरंगा गान, देशभक्ति के गीतों तथा **"वंदे मातरम"** का सामूहिक गायन एवं अन्य राष्ट्रभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ-साथ स्कूल बैण्ड / पुलिस बैण्ड / आर्मी बैण्ड आदि द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के वादन को सम्मिलित किया जाए।
- **स्वतन्त्रता दिवस समारोह:-** स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में **"वंदे मातरम"** का सामूहिक गायन तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का ध्वजारोहण सुनिश्चित किया जाएगा।
- **तिरंगा प्रदर्शनी:-** प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, सार्वजनिक उद्यान आदि में तिरंगा प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा यथासम्भव प्रदर्शनियों का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाए। प्रदर्शनियों की रूपरेखा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, जिसे **हर घर तिरंगा** पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका यूआरएल (URL) https://harghartiranga.com/downloads है।
- **राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा):-** इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक घर, कार्यालय, सार्वजनिक उद्यम आदि पर तिरंगा फहराया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के वितरण के लिए योजना तैयार कर ली जाए।
- **तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण:-** प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों, प्रमुख चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण का कार्य कराया जाए।
- **तिरंगा-थीम आधारित रंगोली:-** प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित रंगोली बनवाई जाएं।
- **तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ:-** विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे परिसर की दीवारों पर तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ, स्वतन्त्रता सेनानियों के चित्र (Paintings) तथा **"वंदे मातरम"** के अंश अंकित करें।
- **हर घर तिरंगा अभियान 2026 का प्रचार-प्रसार:-** समस्त विभागों एवं जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं की आधिकारिक वैबसाइट एवं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर **'हर घर तिरंगा अभियान 2026'** का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनमानस को डिजिटल अभियान में भाग लेने हेतु "सैल्फी विद तिरंगा" को **हर घर तिरंगा** पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- **तिरंगा सैल्फी:-** तिरंगे के साथ सैल्फी लेते हुए फोटो एवं **वंदे मातरम** गायन के वीडियो **हर घर तिरंगा** वैबसाइट पर (www.harghartiranga.com) पर अपलोड किए जाएं। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान को निर्देश जारी किए जाएं कि विद्यालयों में सैल्फी प्वाइण्ट बनाते हुए विद्यार्थी तिरंगे के साथ सैल्फी लेकर एवं **वंदे मातरम** गाते हुए वीडियो एवं फोटो अपलोड करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तिरंगा फहराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जारी झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)

प्रत्येक जिला स्तर पर नामित नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि, झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। झण्डा फहराने के नियम व झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। (संलग्नक-2 व 3)

इस वर्ष **हर घर तिरंगा अभियान 2026** का आयोजन **वंदे मातरम** के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित होगा। भौतिक रूप से आयोजित कार्यक्रमों में **वंदे मातरम** का गायन अवश्य किया जाए। **वंदे मातरम** के गायन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन्स जारी की गई हैं, जिनको इस लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:-

https://orders_relatingto_singingplayingnationalsong_nationalanthemofindiaeng_09072026_0_0.pdf/। इस शासनादेश के साथ इसका पीडीएफ भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

"हर घर तिरंगा अभियान 2026" के सफल आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्रमशः पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा **हर घर तिरंगा अभियान 2026** के आयोजन हेतु बड़े जनपदों को रू0 10.00 लाख एवं छोटे जनपदों को रू0 5.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस धनराशि से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के क्रय का कार्य नहीं किया जाएगा; यह धनराशि जनपदों में **हर घर तिरंगा अभियान 2026** के अन्तर्गत होने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट की व्यवस्थाएं, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली, प्रतियोगिताएं आदि तथा विभाजन विभीषिका से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से '**हर घर तिरंगा अभियान 2026**' का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
एस० पी० गोयल
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2026 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/ नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

6. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमृत अभिजात
अपर मुख्य सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विवेक अग्रवाल
सचिव
Vivek Aggarwal
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली–110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NEW DELHI-110 001

D.O. No.42-22/119/2022-AKAM(Pt.II) July 14, 2026

Dear Shri Goyal,

As you are aware, Government of India launched the Har Ghar Tiranga (HGT) campaign in 2022 under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The objective of this campaign has been to encourage citizens to hoist the National Flag at their homes and build a personal and emotional connection with the Tiranga. Over the years, the campaign has become a successful Jan Bhagidari movement of national identity, patriotism and pride.

2. The HGT campaign was successfully implemented during the years 2022, 2023, 2024 and 2025, with Tiranga being prominently hoisted across homes, offices, institutions and public spaces nationwide on Independence Day. Activities such as Selfie with Tiranga, Prabhat-pheris, Tiranga Rallies (including bike and cycle rallies), Tiranga exhibitions, along with other grassroots-level Jan Bhagidari initiatives, have made Independence Day celebration a more participative and widely celebrated occasion across the country. The campaign has also served as a special occasion for the public to pay heartfelt tribute to the freedom fighters and soldiers who laid down their lives in the service of the nation and in honour of the Tiranga.

3. In continuation of this spirit, Government of India is currently commemorating 150 years of the National Song "Vande Mataram". In this regard, National Implementation Committee (NIC), under the Chairmanship of the Hon'ble Union Minister of Home Affairs and Cooperation, has approved, vide its directions dated 13.03.2026, the integration of the third phase of the commemoration with Har Ghar Tiranga 2026. Accordingly, Government of India has decided to celebrate Har Ghar Tiranga 2026 across the country from 9th to 17th August 2026. During this period, all physical celebrations shall bring together singing of the National Song "Vande Mataram" and hoisting/display of the National Flag (Tiranga). Similarly, all digital celebrations shall also bring together these two components through the Har Ghar Tiranga website (www.harghartiranga.com), wherein citizens may upload Selfie with Tiranga and the lyrics of "Vande Mataram" shall automatically appear as part of the uploaded picture.

4. In this regard, State Government/UT Administration is requested to actively support Har Ghar Tiranga 2026 campaign by ensuring participation of all Departments, District Administrations, Urban Local Bodies, Panchayati Raj Institutions, educational institutions and other agencies under its administrative control. The activities to be undertakenwith under Har Ghar Tiranga 2026 with high Janbhagidari are enclosed at Annexure-I.

5. In the above context, it is requested to kindly nominate a Nodal Officer from your Department to coordinate with the Ministry of Culture for effective implementation of HGT 2026 campaign.

With regards,

Yours sincerely,

(Vivek Aggarwal)

Shri Shashi Prakash Goyal
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Room No. 22100, 2nd Floor, Kartavya Bhawan-2, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Phone +91-11-24014303, 24014304 E-mail secy-culture@nic.in

ANNEXURE-I

Activities to be undertaken by the State Governments/Union Territory Administrations under Har Ghar Tiranga 2026

1. The States/UTs will organize **Tiranga Rally with large-scale procession** featuring participants carrying the Indian National Flag in accordance with the Flag Code of India and singing Vande Mataram at the start of the rally. The rally can involve citizens from all walks of life, including students, youth, government officials, armed forces personnel, and community organizations, promoting patriotism, national unity, and pride. Proper documentation, route planning, participant registration, and independent verification should be arranged to support the record attempt, if any while ensuring safety, discipline, and respectful handling of the Tiranga throughout the event.
2. **State/UT-level Tiranga Concerts** may be organized with participation of the Hon'ble Governor/Lieutenant Governor, Hon'ble Chief Minister and other dignitaries, incorporating patriotic songs, **collective singing of the National Song "Vande Mataram"**, the **Tiranga Anthem** and other suitable cultural performances.
3. It may be ensured that all **Independence Day celebrations** organized by the State Government/UT Administration include **collective singing of the National Song "Vande Mataram"** along with **hoisting/display of the National Flag (Tiranga)**.
4. **Tiranga Exhibition** curated by the Ministry of Culture (available in the download section of the **Har Ghar Tiranga Portal** (www.harghartiranga.com) may kindly be displayed at prominent public places such as shopping malls, railway stations, airports, bus terminals, public parks and other locations having high public footfall. Wherever feasible, the exhibition may be inaugurated by a dignitary.
5. **Tiranga Cycle Rallies/E-Bike Rallies may be organized** across districts and Gram Panchayats during the campaign period.
6. Adequate availability and distribution of the **National Flag (Tiranga)**may be ensured throughout the State/UT during the campaign period.
7. **Tiranga-themed illumination and decoration may be undertaken**, wherever feasible, at Government buildings, dams, bridges, roads, airports, railway stations, bus terminals, hospitals, schools, marketplaces, prominent roundabouts and other public places.
8. Creation of **large Tiranga-themed Rangolis**may be encouraged at prominent public places having high public footfall.
9. Schools and educational institutions may be encouraged to decorate campus walls with **Tiranga-inspired artwork**, quotations of freedom fighters and excerpts from the National Song **"Vande Mataram"**.
10. **Har Ghar Tiranga 2026** campaign may be ensured to be publicized through the official website and social media platforms of the State Government/UT Administration and encourage officers, employees and the public to participate in the digital campaign by uploading **"Selfie with Tiranga"** on the **Har Ghar Tiranga Portal** (www.harghartiranga.com).

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

संलग्नक-2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।

4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

संलग्नक-3

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

4- दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् ॥

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अवले,
बहुवलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणा: शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे ।
वन्दे मातरम् ॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम् ।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ॥

National Song

VANDE MATARAM

Vandē Mātaraṃ, Vandē Mātaraṃ.
Sujalāṃ suphalāṃ malayaja-sheetalāṃ,
Shasya-Shyāmalāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Shubhra-jyotsnā pulakita-yāmineeṃ,
Phulla-kusumita druma-dala-shobhineeṃ,
Suhāsineeṃ sumadhura-bhāshineeṃ,
Sukhadāṃ varadāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Koti-koti kantha kal-kal nināda karāle,
Koti-koti bhujairdhṛita kharkarvāle,
Ke bole Mā tumi abale,
Bahubaladhāriṇeeṃ namāmi tāriṇeeṃ,
Ripudala-vāriṇeeṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Tumi vidyā, tumi dharma,
Tumi hṛdi, tumi marma,
Tvaṃ hi prāṇāḥ shareere
Bahute tumi Mā shakti,
Hṛdaye tumi Mā bhakti,
Tomārai pratima gadi mandire-mandire.
Vandē Mātaraṃ.

Tvaṃ hi Durgā dasha-praharaṇa-dhāriṇee,
Kamalā kamala-dala-vihāriṇee,
Vāṇee vidyā-dāyinee,
Namāmi tvāṃ namāmi kamalāṃ,
Amalāṃ atulāṃ,
Sujalāṃ suphalāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Shyāmalāṃ saralāṃ susmitāṃ bhūṣhitāṃ,
Dharaṇeeṃ bharaṇeeṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ, Vandē Mātaraṃ.